इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 577] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 2 नवम्बर 2010—कार्तिक 11, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2010

(21) क्र. बी-5-11-2008-2-पांच.—मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (क्रमांक 17 सन् 1952) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिनेमा (विनियमन) नियम, 1972 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 2 में,—

(एक) खण्ड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(घ क) "अग्नि प्रतिरोध शक्ति" से अभिप्रेत है उष्मा और भार की निर्धारित की गई अवस्थाओं के अध्यधीन रहते हुए या अव संरचनाओं के अग्नि प्रतिरोध परीक्षण 15-3809-1966 में यथा विनिर्दिष्ट अनुज्ञात स्थान की अग्नि से सुरक्षा करने के इसके कार्य को पूरा करने में योगदान देने के लिए रोकथाम में किसी पदार्थ द्वारा लिया जाने वाले समय;

"(घ ख) "अग्नि सुरक्षा प्रबन्धन" से अभिप्रेत है समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग 4, अग्नि और जीवन सुरक्षा के उपबन्ध;";

(दो) खण्ड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ङ क) "निरीक्षण दल" से अभिप्रेत है ऐसा दल जिसे अनुज्ञापन प्राधिकारी अर्थात् जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, जिसमें स्वयं जिला मजिस्ट्रेट या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस, लोक निर्माण विभाग (भवन, विद्युत् और यांत्रिकी), मध्यप्रदेश क्षेत्रीय विद्युत् वितरण कम्पनी

लिमिटेड, नगर तथा ग्राम निवेश, आबकारी, नगरपालिक निगम या नगरपालिका परिषद् के स्वास्थ्य या अन्य संबंधित विभाग, अग्निशमन सेवाएं, स्थानीय स्वायत्त शासन के पदाधिकारी और विनिर्दिष्ट किया गया ऐसा विद्युत् निरीक्षक, जिसे सिनेमा परिसरों/अनुज्ञप्त परिसरों के निरीक्षण के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाए;'';

(तीन) खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(छ क) ''मल्टीप्लेक्स/बहु आयामी मनोरंजन केन्द्र'' से अभिप्रेत है, ऐसे मनोरंजन केन्द्र जिनके निर्माण पर रुपये 2 करोड़ या अधिक का विनिधान किया हो एवं जिसमें कम से कम निम्नलिखित न्यूनतम सुविधाएं हों—

(एक) न्यूनतम दो सिनेमाघर जिनकी संयुक्त दर्शक क्षमता कम से कम पांच सौ दर्शकों की हो, और जिसमें एक ही समय में दो फिल्में प्रदर्शित की जा सकती हों;

(दो) वीडियो गेम आरकेड;

(तीन) फास्ट फूड सेन्टर;

(चार) बच्चों के खेलने एवं मनोरंजन हेतु जगह एवं व्यवस्था; और

(पांच) वाहन पार्किंग व्यवस्था.''.

2. नियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''3. अनुज्ञा, के लिए आवेदन,

आवेदक, अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तावित भवन के, जिसके लिए नियोजन अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय द्वारा तथा भवन संनिर्माण अनुज्ञा, यथास्थिति, संबंधित नगरपालिक निगम/नगरपालिक परिषद्/ नगर पंचायत द्वारा जारी की गई हो, अनुमोदित मानचित्र के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करेगा.''.

3. नियम 4 का लोप किया जाए.

4. नियम 5 का लोप किया जाए.

5. नियम 6 का लोप किया जाए.

6. नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''7. भवन नियम : किसी भी सिनेमा को इन नियमों के अधीन तब तक अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी जब तक कि सिनेमा इस अध्याय में अधिकथित नियमों के अनुरूप न हों तथा जब तक सिनेमा भवन की संरचना समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 तथा साथ ही मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के उपबंधों के अनुसार न हो:

परन्तु पर्यटन सिनेमा की दशा में नियम 8, 12, 13, 14, 15, 16, 19(1), 19(2), 20, 21 तथा 22 लागू होंगे.''.

7. नियम 8 के उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(1) समस्त सिनेमा भवन/मल्टीप्लेक्स में सिनेमा भवन ऐसी अग्नि प्रतिरोधी सामग्री से सन्निर्मित होंगे जो समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग 4, अग्नि एवं जीवन की सुरक्षा के अनुरूप हो.''.

8. नियम 9, 10 तथा 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम क्रमशःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

''9. सन्निर्माण—(1) समस्त सिनेमा भवन/मल्टीप्लेक्स में सिनेमा भवन का सन्निर्माण, समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के उपबंधों के अनुरूप तथा उनके अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 और नगर विकास योजना के उपबंधों के अनुसार तथा उनके अनुरूप किया जाएगा.

(2) सिनेमा भवन/मल्टीप्लेक्स में सिनेमा भवन का निर्माण अग्नि रोधक निर्माण सामग्री से किया जाना चाहिए ताकि वे समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग 4, अग्नि एवं जीवन की सुरक्षा के उपबंधों के अनुरूप हो सकें. सिनेमा भवन/मल्टीप्लेक्स में सिनेमा भवन की बाहरी दीवार तथा उसे विभक्त करने वाली दीवार का निर्माण अग्निरोधक निर्माण सामग्री से किया जाना चाहिए ताकि वे समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग 5, की निर्माण सामग्री के अनुरूप हो. सिनेमा भवन/मल्टीप्लेक्स में सिनेमा भवन की बाहरी दीवार ईंट/ पत्थर/ कांक्रीट (ठोस, खोखला या तैयार होना चाहिए एवं सभागार हाल जो जन सामान्य द्वारा प्रयोग किए जाते हों, की छत, दीवार एवं फर्श भारतीय मानक 12777-1989, श्रेणी एक में अंतर्विष्ट विशेष विवरण वाली अग्निरोधी सामग्रियों से बने होना चाहिए.

(3) सिनेमा भवन/मल्टीप्लेक्स में सिनेमा की संरचना, डिजाइन तथा भवन निर्माण सामग्री अर्थात् लकड़ी, कांक्रीट, संवहित कांक्रीट, पूर्व में निर्मित कांक्रीट, समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग 6, संरचनात्मक डिजाइन के उपबंधों के अनुसार तथा उसके अनुरूप होना चाहिए.

(4) सिनेमा भवन/मल्टीप्लेक्स में सिनेमा की अधोसंरचना डिजाइन तथा भवन के घटक जैसे लकड़ी, कांक्रीट, संवहित कांक्रीट, पूर्व रचित कांक्रीट समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग 6, अधोसंरचनात्मक डिजाइन के उपबंधों के अनुसार और उनके अनुरूप होना चाहिए ताकि वे भूकंप प्रतिरोधी हों.

(5) इन नियमों में की कोई भी बात, इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व चलचित्र प्रदर्शन के उपयोग हेतु राज्य के किसी भी भाग में सम्यक् रूप से अनुज्ञप्त किए गए परिसरों को लागू नहीं होगी:

परन्तु ऐसे परिसरों में सभागार तथा रंगमंच के नीचे के खुले स्थानों को, जहां वे विद्यमान हैं, भाड़े पर नहीं दिया जाएगा या उनका उपयोग गोदाम के रूप में नहीं किया जाएगा, किन्तु उनका उपयोग सिनेमा उपकरणों जैसे विज्ञापन फलक तथा ट्राली, यदि उन्हें उचित रूप से व्यवस्थित रखा गया हो तथा उनकी देख-रेख की गई हो, रखने के लिए किया जा सकेगा.

10. पंक्तियों (टीयर) की ऊंचाई.—जहां प्रथम पंक्ति या बालकनी, सभागार के किसी भाग से बाहर हो तो सभागार के फर्श तथा ऐसी पंक्ति या बालकनी के बीच की ऊंचाई किसी भी भाग में 3600 मिलीमीटर से कम नहीं होगी. ऐसी पंक्ति या बालकनी के उच्चतम भाग का फर्श तथा उसके ऊपर की छत का निम्नतम भाग का अंतर 3600 मिलीमीटर से कम का नहीं होगा. विभिन्न पंक्तियों के बीच ऊंचाई किसी भी दशा में 2400 मिलीमीटर से कम नहीं होगी:

परन्तु इस नियम की कोई भी बात, इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व चलचित्र प्रदर्शन के उपयोग हेतु राज्य के किसी भाग में सम्यक् रूप से अनुज्ञप्त परिसरों को लागू नहीं होगी.''.

11. प्रवेश तथा निकास लोक मार्ग पर होंगे.—स्थल पर सिनेमा गतिविधियां तब तक अनुमोदित की जाएगी जब सिनेमा की निकास आवश्यकता मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) के उपबंधों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 82 के उपबंधों के अनुसार विहित चौड़ाई के लोक मार्ग पर हो और रेखांक/विकास योजनाएं/ जोनल योजनाएं उसके अधीन अनुमोदित की गई हों. ऐसे नगरों में, जहां विकास योजनाएं अनुमोदित नहीं हैं वहां मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के अधीन विहित किए गए अनुसार स्वीकृत होना चाहिए.

9. नियम 12 के उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(1) निकास का प्रावधान, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 82 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा. रंगमंच और सभागार के फर्श से तथा ऐसी प्रत्येक पंक्ति से, जिसमें 500 से अनधिक लोग बैठ सकते हों, लोगों के आने जाने के एक ही आम रास्ते पर न खुलने वाले दो पृथक् निकासों का प्रावधान किया जाएगा और जहां सभागार के फर्श या किसी पंक्ति में 500 से अधिक लोग बैठ सकते हों, वहां प्रत्येक 250 लोगों के लिए एक के

हिसाब से और इसके अतिरिक्त किसी कम संख्या के लिए एक निकास का प्रावधान किया जाएगा. जब दरवाजे खुले हुए हों तो ऐसे प्रत्येक निकास की चौड़ाई 5 फीट से कम नहीं होगी.''.

10. नियम 13, 14, 15, 16, 17 तथा 18 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम क्रमशः स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

''13. बैठक व्यवस्था.—(1) सभागार में बैठने की व्यवस्था मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के अनुसार होगी जिसके अन्तर्गत निकास सदैव निर्बाध तथा बिना किसी रूकावट के होना चाहिए.

(2) किन्तु इन नियमों में की कोई भी बात इस अधिसूचना के जारी किए जाने के पूर्व अनुपज्ञप्त सिनेमा हालों को लागू नहीं होगी.

14. सीढ़ियां (गेंगवेज).—(1) बगल में तथा बीच में रास्ता या सीढ़ियां, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के उपबंधों के अनुसार निर्मित की जाना चाहिए.

(2) मुख्य मार्ग की चौड़ाई, 1200 मिलीमीटर एवं बगल का रास्ता न्यूनतम 1000 मिलीमीटर चौड़ा होना चाहिए.

(3) कम से कम दो ऊर्ध्व मार्ग सीधे निकास द्वार से जुड़े होना चाहिए तथा इस प्रयोजन के लिए यदि कोने का मार्ग निकास द्वार से जुड़ा है तो सीढ़ी की चौड़ाई 1200 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए.

(4) सीधे निकास हेतु स्थानों (सीट्स) की पंक्तियों के बीच समानांतर पूरा मार्ग 1000 मिलीमीटर से कम चौड़ा न हो, प्रत्येक 10 पंक्तियों के मध्य कम से कम एक आड़ा मार्ग होना चाहिए.

(5) समस्त निकास मार्ग, ऊर्ध्व मार्ग, जीना तथा ऐसे समस्त अन्य सतह पूर्ण घर्षण सतही वाली होना चाहिए.

(6) सिनेमा हाल के अंदर फर्श पर समस्त कार्पेट, चटाई, फर्शी, संगमरमर एवं समस्त बिछावट सतह से समुचित तौर पर चिपकी हुई होनी चाहिए. समस्त मुख्य मार्ग, कोने के मार्ग, बीच की सीढ़ियों/फर्श के बीच का फर्श इस तरह होना चाहिए ताकि दर्शकों को प्रदर्शन के दौरान आवा-जाही में कोई परेशानी न हो. सीढ़ियों के किनारे विद्युत् लैम्प 24 वाट से अधिक का नहीं होना चाहिए.

(7) निकास के सभी रास्ते एवं निकास द्वार पूर्णतः अवरोध मुक्त होना चाहिए जिससे आकस्मिकता/ अग्नि की स्थिति में भवन के समस्त अधिभोगी दो से तीन मिनट के अन्दर परिसर छोड़ सके.

(8) यदि रास्तों या परिचालन स्थान में सीढ़ियां लगाई गई हों तो वह लगातार कम से कम एक या तीन सीढ़ियां होना चाहिए तथा उतरने के स्थान की चौड़ाई 300 मिलीमीटर से कम नहीं होना चाहिए. समस्त सीढ़ियां समान लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई की होना चाहिए.

15. दरवाजे.—(1) सिनेमा हॉल के समस्त दरवाजे, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के उपबंधों के अनुसार होंगे तथा न्यूनतम 2000 मिलीमीटर ऊंचाई एवं 2000 मिलीमीटर चौड़ाई के होंगे. सभी दरवाजे बाहर की तरफ खुलेंगे तथा वे बाहर की ओर दीवारों के बाहरी भाग के सहारे लगने वाले होंगे तथा वे इस प्रकार नियत होंगे कि वे खुलने पर किन्हीं रास्तों, परिचालन स्थान, सीढ़ियों या रंगमंच को बाधित नहीं करेंगे.

(2) सिनेमा हॉल के दोनों किनारों एवं पीछे की तरफ युक्तियुक्त दरवाजे होना चाहिए, जिससे दो या अधिक स्थानीय रास्तों से लोग द्रुत गति से चल फिर सकें.

(3) प्रत्येक निकास या रास्ता जो कि निकास के एक निश्चित स्थल पर पहुंचता हो, का दरवाजा कम से कम 2000 मिलीमीटर चौड़ाई का होना चाहिए.

अथवा ऐसी चौड़ाई का जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी के मत में आवश्यक हो, ताकि भवन में आपातकाल की स्थिति में बाधा रहित निकास हो सके और भीड़ को खतरे से बचाया जा सके.

(4) सिनेमा हॉल से खुले स्थान में जाने वाले समस्त दरवाजे जिनसे दर्शक बाहर जा सकते हों, जब तक दर्शक सिनेमा हॉल के अन्दर हैं तब तक दर्शकों के लिए खुले रहेंगे तथा उनके लिए उपलब्ध रहेंगे एवं ये दरवाजे किसी भी स्थिति में सिटकनी/ताले से बन्द नहीं रखे जाएंगे और उन्हें किसी भी दशा में बन्द नहीं किया जाएगा.

(5) सिनेमा हाल के मुख्य आगम द्वार को छोड़कर समस्त निकास द्वारों पर न्यूनतम 180 मिलीमीटर ऊंचाई पर तथा फर्श से कम से कम 2180 मिलीमीटर ऊंचाई पर प्रमुखता से ''निकास'' प्रदर्शित होना चाहिए जो उजाले एवं अंधेरे दोनों में स्पष्टत: परिलक्षित हों. इसे अग्नि दुर्घटना की स्थिति में भवन के अधिभोगियों के बचाव कार्य हेतु 12 वोल्ट के लेड उपकरणों से प्रदीप्त रखना होगा. उसके ऊपर लिखे ''निकास'' शब्द के अक्षरों की चौड़ाई कम से कम 180 मिलीमीटर होना चाहिए.''.

16. **गलियारे की चौड़ाई इत्यादि.**—सिनेमा भवन या मल्टीप्लेक्स में सिनेमा भवन में निर्गम के उपयोग के लिए समस्त जीने, लाबी, गलियारे या रास्ते जो सीट के रास्ते में नहीं है, मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम, 1984 के अनुसार निर्गम के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं उनकी चौड़ाई 2000 मिलीमीटर से कम नहीं होगी तथा मार्ग की दीवारों में दरवाजे से 2000 मिलीमीटर की ऊंचाई तक कोई छज्जा या बालकनी नहीं होगी:

परन्तु इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व फिल्म दिखाने के लिए अनुज्ञप्त स्थानों को कोई उपबंध लागू नहीं होंगे.

''17. **सीढ़ियां.**—(1) मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 एवं मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के साथ पठित समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 में विनिर्दिष्ट विशेषताओं के अनुरूप समस्त सीढ़ियां, भीतरी छत, ऊपरी छत, पूर्णत: अग्निरोधी, ईंट, पत्थर, सीमेन्ट या कान्क्रीट से बने होना चाहिए और उनमें ठोस वर्गाकार (मेहराब की चाप से भिन्न) सीढ़ियां तथा मंच, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित पत्थर या अग्निरोधी सामग्री से बना होना चाहिए. सीढ़ियों के ऊपरी धरातल की चौड़ाई 300 मिलीमीटर से कम चढ़ाव 150 मिलीमीटर से अधिक का नहीं होना चाहिए.

(2) सीढ़ियों की संख्या समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग 4 के उपबंधों के अनुरूप होगी, सिनेमा भवन या मल्टीप्लेक्स में ऐसी सीढ़ियों की संख्या दो से कम नहीं होगी जिनमें 50 प्रतिशत सीढ़ियां विहित शर्तों के अनुसार समर्पित सीढ़ियां हैं. गलियारें अथवा ऊपरी तल की ओर पहुंचने वाले जीने की चौड़ाई 2000 मिलीमीटर से कम न हो.

(3) सिनेमा हाल या मल्टीप्लेक्स में समस्त सीढ़ियों के दोनों छोरों को दीवारों में चिपका होना चाहिए एवं न्यूनतम 75 मिलीमीटर चौड़ी धातु के मजबूत ब्रैकेट द्वारा जोड़ी हुई हैण्डरेल्स जीने से 900 मिलीमीटर ऊंचाई पर अवश्य ही लगातार लगी होनी चाहिए जिसमें ऊपरी एवं निचले सिरे के मध्य 300 मिलीमीटर का अंतर रखना चाहिए.

(4) यदि सीढ़ी के स्थान पर ढाल वाला रास्ता उपलब्ध कराया जाता है तो, ढाल का अनुपात 1:12 होना चाहिए तथा इसका तल फिसलन रहित पदार्थ से निर्मित होना चाहिए. ऐसे ढाल वाले रास्ते की चौड़ाई 1500 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए तथा दोनों छोरों पर दीवार में मजबूती से लगी हुई एवं कम से कम 75 मिलीमीटर चौड़ाई के धातु के मजबूत ब्रैकेट द्वारा जोड़ी हुई हैण्डरेल्स सीढ़ी से 900 मिलीमीटर ऊंचाई पर अवश्य ही लगातार लगी होनी चाहिए.

(5) सिनेमा हाल में ऐसी समस्त सीढ़ियों में दीवार पर फर्श से 1500 मिलीमीटर ऊंचाई तक कोई कोटरिका अथवा छज्जा न हो एवं प्रकाश संबंधी कोई साज सामान सीढ़ियों से 2000 मिलीमीटर की ऊंचाई से कम का नहीं होना चाहिए.

(6) सीढ़ियों का पायदान न्यूनतम 2200 मिलीमीटर का होना चाहिए.

(7) कोई भी सीढ़ी का निकास स्थल निकास की दिशा के विरुद्ध या मार्ग में नहीं खुलेगा.

(8) व्हील चेयर का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के लिये ढाल वाले रास्ते के ढाल/चढ़ाव को कम करने की दृष्टि से, ढाल वाले रास्ते के खुले भाग की तरफ 1500 मिलीमीटर की ऊंचाई पर हैण्डरेल्स लगे होने चाहिए.

(9) सीढ़ियों के ऊपरी धरातल तथा प्रत्येक पायदान की चौड़ाई तथा ऊँचाई एक समान तथा समानुपातिक होनी चाहिए.

(10) समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 1005 के साथ ही मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) एवं इसके अन्तर्गत बने, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के उपबंधों के अनुरूप ऊंचे सिनेमा भवनों एवं मल्टीप्लेक्स में बाहरी सीढ़ियां उपलब्ध कराया जाना सलाह योग्य होगा. बाहरी सीढ़ियों के लिये निम्नलिखित शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :—

(क) बाहरी सीढ़ियां तदैव कार्यरत अवस्था में रहना चाहिए;

(ख) समस्त बाहरी सीढ़ियां सीधे भूतल से जुड़ी रहना चाहिए;

(ग) बाहरी सीढ़ियों का प्रवेश आंतरिक सीढ़ियों से दूर रहना चाहिए;

(घ) बाहरी सीढ़ियों के समीप या उस पर कोई भी खिड़की या दरवाजा न खुले, इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए;

(ङ) बाहरी सीढ़ियां का मार्ग हर समय अवरोधों से मुक्त रहना चाहिए;

(च) बाहरी सीढ़ियां गैर ज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होना चाहिए एवं समस्त द्वारों, जिधर सीढियां ले जाती है, अग्निरोधिता होनी चाहिए;

(छ) कोई भी बाहरी सीढ़ी जो कि अग्नि के दौरान बचने के लिये निकास के तौर पर प्रयोग में लाई जा सकती हो, क्षैतिज समतल से 45 डिग्री से अधिक कोण की न हो;

(ज) किसी भी बाहरी सीढ़ी का सीधा चढ़ाव न्यूनतम 1500 मिलीमीटर की चौड़ाई का होना चाहिए तथा उसका प्रत्येक सोपान 300 मिलीमीटर अधिकतम चौड़ाई एवं चढ़ाव न्यूनतम 150 मिलीमीटर का होना चाहिए प्रत्येक सोपान में सीढ़ियों की संख्या 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(झ) इन बाहरी सीढ़ियों में हत्थे न्यूनतम 1000 मिलीमीटर एवं अधिकतम 1200 मिलीमीटर ऊंचाई के होंगे. इनमें 150 मिलीमीटर के अंतराल पर ब्रैकेट दिया जाना चाहिए घुमावदार सीढ़ियों का उपयोग, न्यूनतम दाब हेतु सीमित होना चाहिए एवं 9 मीटर तथा उससे अधिक ऊंचे भवनों के लिये नहीं होना चाहिए. घुमावदार सीढ़ियों का चढ़ाव 1500 मिलीमीटर व्यास से कम का नहीं होना चाहिए एवं सिर बचाने की समुचित जगह उपलब्ध रहे, इस प्रकार संरचित होना चाहिए. भवन संरचना की जगह उपलब्ध रहे, इस प्रकार संरचित होना चाहिए. यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि भवन संरचना के बीम/कालम से सीढ़ियों में सिर बचाने की जगह या चौड़ाई कम नहीं होना चाहिए.

(11) इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व, अनुज्ञप्त थिएटरों/सिनेमा हालों को भी इन नियमों के प्रकाशन से 6 माह के भीतर अग्नि दुर्घटना से बचाव व जन सुरक्षा के लिए लागू उपबंधों का पालन करना होगा. यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी की यह राय है कि उक्त संबंध में उपयुक्त प्रयास नहीं किए गए हैं और पालन करने के लिये अतिरिक्त समय अपेक्षित है तो अगले 6 माह की अधिकतम कालावधि के लिये समय बढ़ाया जा सकेगा. अनुदेशों का पालन करने के लिये छह मास का और विस्तार किया जाएगा यदि एक वर्ष की अवधि में भी अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है तो सिनेमा को जारी लायसेंस निलंबित/निरस्त किया जा सकेगा.''

18. **संवातन.**—(1) सिनेमा भवन या मल्टीप्लेक्स में खिड़की, दरवाजा तथा संवातन के खुले स्थान पर क्षेत्रफल, समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 तथा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) के अन्तर्गत बनाए गए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के उपबंधों के अनुसार होगा.

(2) इन नियमों की कोई भी बात, इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व अनुज्ञप्त थिएटरों/सिनेमा भवनों पर प्रभाव नहीं डालेगी.''.

11. नियम 19 में,

(एक) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(2) सिनेमा भवन या मल्टीप्लेक्स में, सेनेटरी फिटिंग की संख्या और संस्थापन मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 89 की सारणी क्रमांक 21 के उपबंधों के अनुसार हों, पुरुषों एवं महिलाओं के लिये यह व्यवस्था पृथक्-पृथक होगी. इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाएगा कि इससे किसी प्रकार बाधा उत्पन्न न हो.''.

(दो) उपनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उपनियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(6) प्रत्येक सिनेमा भवन के स्वामी द्वारा टॉयलेट में फ्लशिंग स्वच्छता हेतु सेंसर युक्त स्वचालित फ्लशिंग की व्यवस्था होगी. सिनेमा भवन के स्वामी अथवा संचालक द्वारा सभी फ्लश संडास, शौचालय स्थान, जिसमें पेशाब घर भी सम्मिलित है तो पूर्णत: स्वच्छ रखा जाएगा, जिन्हें पूर्ण स्वच्छता सुनिश्चित करने की दृष्टि से नियमित रूप से एन्टीबैक्टिीरिया रसायनों, रोगाणु नाशक साधनों एवं पाउडर आदि से स्वच्छ रखा जाएगा.''.

12. नियम 73 तथा 74 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम क्रमशः स्थापित किए जाएं अर्थात् :—

"73 पानी की टंकी.—सिनेमा भवन या मल्टीप्लेक्स में, अग्नि से बचाव के प्रयोजन हेतु अग्निशमन हेतु प्रयुक्त किए जाने वाली पानी की टंकियां समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग-4 "अग्नि एवं जीवन सुरक्षा" के उपबंधों के अनुरुप होनी चाहिए. अग्नि शमन हेतु स्वचालित छिड़काव प्रणाली की स्थापना भी समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग-4 "अग्नि एवं जीवन सुरक्षा" के उपबंधों के अनुरूप सुनिश्चित कराया जाना चाहिए.

74. अग्नि से सुरक्षा के लिये उपाय.—(1) सिनेमा भवन या मल्टीप्लेक्स में, अग्नि से सुरक्षा हेतु योजना का कार्यान्वयन समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग-4 "अग्नि और जीवन सुरक्षा" के अनुसार किया जाना चाहिए.

(2) ऐसे भवनों में जहां सिनेमा भवन या मल्टीप्लेक्स को, मिश्रित उपयोग के लिये अनुज्ञप्त किया गया हो. अग्नि से सुरक्षा हेतु अग्निरोधी व्यवस्थाएं जैसे कि अग्नि शमन यंत्र, वेटराईजर डाउनकमर, यार्ड हाईड्रेण्ट, स्वचालित छिड़काव प्रणाली मानव चलित अग्नि विद्युत् अलार्म प्रणाली, स्वचालित अग्नि खोजी व अलार्म प्रणाली, भूमिगत जल संग्रहण टंकिया, ओवर हैड टंकिया, जमीन एवं छत पर फायर पंप एवं अग्नि शमन के अन्य कोई साधन समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग-4 "अग्नि एवं जीवन सुरक्षा" के अनुसार रखे जाना चाहिए.

(3) सिनेमा भवन या मल्टीप्लेक्स में, पर्याप्त मात्रा में धूम संवातन व्यवस्था की जाना चाहिए या यंत्र चलित धूम निकास प्रणाली, या स्वचालित धूम खोज प्रणाली कोई अन्य प्रणाली जो अग्नि शमन हेतु उत्तरदायी अधिकारी की सलाह पर जिसे की अनुज्ञापन प्राधिकारी अधिसूचित करे समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग-4 "अग्नि एवं जीवन सुरक्षा" के अनुसार संस्थापित किए जा सकते हैं.

(4) सिनेमा भवन या मल्टीप्लेक्स में, समस्त आंतरिक साज सज्जा एवं उनमें प्रयुक्त किए जाने वाली सामग्री, प्रथम श्रेणी अग्नि के बचाव के लिये उपयुक्त होनी चाहिए और उसे समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग-4 "अग्नि एवं जीवन सुरक्षा" के अनुसार होना चाहिए.

(5) अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी से सिनेमा भवन या मल्टीप्लेक्स के आकार के परिप्रेक्ष्य में तथा भवन के संदर्भ में अग्नि से सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा.

(6) सिनेमा भवन या मल्टीप्लेक्स में समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग-4 "अग्नि एवं जीवन सुरक्षा" के अनुसार तड़ित चालक स्थापित किया जाना चाहिए.

13. नियम 76 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित नए उपनियम जोड़े जाएं, अर्थात् :—

"(3) सिनेमा भवन या मल्टीप्लेक्स में, जहां आग स्वयं दिखाई न पड़ सकती हो वहां, स्वचलित अग्नि खोजी एवं अलार्म (संकट घंटी) प्रणाली संस्थापित किया जाना आवश्यक है ताकि उनका उपयोग करने वालों को आग फैलने के पूर्व चेतावनी दी जा सके ताकि उनका वहां से शीघ्र व आसानी से निकास हो सके. अग्नि खोजी एवं अग्नि शमन प्रणाली समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग-4 "अग्नि एवं जीवन सुरक्षा" के मानकों के अनुसार होना चाहिए.

(4) भवन में प्रयुक्त समस्त वायरिंग समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग-8 के बिल्डिंग सविर्सेज के अनुसार होना चाहिए.

(5) भवन में जहां टेलीविजन स्थापित है वहां बाहरी एंटीना तथा तड़ित चालक का समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए.

(6) ऐसे समस्त कमरों के, जिनमें ज्वलनशील तरल पदार्थों का भण्डारण किया जाता है, दरवाजों पर 2500 मिलीमीटर ऊंचाई पर अंग्रेजी में FIRE DOOR-KEEP CLOSE उल्लिखित होना चाहिए.

(7) **अग्नि संकट चेतावनी प्रणाली.**—15 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले समस्त भवनों में मानव चालित अग्नि विद्युत् अलार्म प्रणाली एवं स्वचलित अग्नि चेतावनी प्रणाली, समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग-4 "अग्नि एवं जीवन सुरक्षा" के अनुसार होनी चाहिए. मानव चालित विद्युत् अग्नि चेतावनी प्रणाली भवन में इस प्रकार से स्थापित की जाना चाहिए कि प्रत्येक तल पर एक या अधिक काल बाक्स उपलब्ध हों. ऐसे समस्त काल बाक्स समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग-4 "अग्नि एवं जीवन सुरक्षा" के अनुसार होना चाहिए.

(8) सभी सिनेमा भवन/मल्टीप्लेक्स में, सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली लगी हो. आधुनिक डिजिटल वीडियो/क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा प्रणाली इस प्रकार स्थापित की जाए, जिससे कि सभी आने वालों के डिजिटल फोटो कम से कम 90 दिनों की कालावधि के लिये रखे जा सकें.

(9) प्रत्येक सिनेमा भवन/मल्टीप्लेक्स सिनेमा में सिनेमा के शो के दौरान प्रबंधन को स्वयं का एक नाम निर्दिष्ट अग्नि सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध बनाए रखना अनिवार्य होगा, जिससे किसी अग्नि दुर्घटना के मामले में अग्निशमन सेवा यान के पहुंचने तक स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सके.

(10) प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से प्रत्येक तीन माह के अंतराल पर, सिनेमा में कार्यरत सभी कर्मचारियों को सक्षम अग्नि प्राधिकारी/अग्नि सुरक्षा अधिकारी के साथ अग्नि दुर्घटना की स्थिति में, बचाव कार्य का अभ्यास कराया जाना चाहिए. जिससे अग्नि दुर्घटना की स्थिति में अग्निशमन सेवा के उपलब्ध होने तक स्थिति को नियंत्रण में रख सके.''

14. नियम 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96 तथा 97 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम क्रमशः स्थापित किए जाएं, अर्थात्

''87. सिनेमा हाल के निर्माण के लिये भवन की अनुज्ञा—कोई भी व्यक्ति, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अधीन बने मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के उपबंधों के अधीन नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अनुज्ञा लेने के सिवाय तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी की लिखित में पूर्व अनुज्ञा से नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत से भवन निर्माण की अनुज्ञा ले लेने के सिवाय भवन, या संरचना को या किन्हीं विद्यमान परिसरों को सिनेमा के रूप में उपयोग करने के लिए संपरिवर्तित नहीं करेगा.

88. अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन-सिनेमा/मल्टीप्लेक्स भवन या संरचना बनवाने के इच्छुक किसी व्यक्ति द्वारा अनुज्ञापन प्राधिकारी को लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा परंतु कम्पनी के मामले में आवेदन कम्पनी के निदेशक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए. ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ सिनेमा हाल/मल्टीप्लेक्स के प्रस्तावित स्थल की नियोजन अनुज्ञा की एक प्रति, जो मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अधीन बने मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के उपबंधों के अनुसार अनुमोदित किए गए हों तथा संबंधित नगर निगम/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत से प्राप्त की गई भवन अनुज्ञा की प्रति अनुज्ञापन प्राधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी.

89. आवेदन के साथ रेखांक संलग्न होगा.—(1) आवेदन प्रस्तावित सिनेमा या मल्टीप्लेक्स के पूर्ण नक्शे शीर्ष चित्र (एलीवेशन्स) तथा खण्डचित्र (सेक्शंस) जो कि 3 मिलीमीटर से 30 सेंटीमीटर के पैमाने पर, सही-सही तैयार किए गए हों, संलग्न करना आवश्यक होगा और ऐसे किन्हीं पार्श्वस्थ परिसरों तथा सार्वजनिक आम रास्तों को दर्शाने वाले, जिससे कि प्रस्तावित सिनेमा का स्थल लगा हुआ हो, एक पृथक् कागज पर, एक ऐसा उपखण्ड-रेखांक (ब्लाक-प्लान) जो कि 6 मिलीमीटर से 30 सेंटीमीटर के मान से कम का तैयार नहीं किया गया हो, संलग्न करना होंगे, ऐसे रेखांकों पर मुख्य बिन्दु चिन्हित किए जाएंगे. भवनों के निर्माण और स्थापना में उपयोग की जाने वाली सामग्री में भिन्नता दर्शाने हेतु समस्त रेखांचित्रों (ड्राइंग्स) में रंग भरे जाएंगे. प्रस्तावित सिनेमा या उससे संबंधित किसी निर्माण या भवनों से गैलरियों या अवतानों (टायर), यदि अधिक हों, एक अवतान (टायर) की ऊंचाई उसके साथ ही साथ फर्श और छत संवातन और किसी विद्युत् अधिष्ठापन के ब्यौरे सहित समस्त सीढ़ियों की चौड़ाई तथा प्रत्येक सीढ़ी की संख्या गलियारों, मार्गिकाओं और दरवाजों की चौड़ाई ऐसे रेखाचित्रों में दर्शाई जाएगी. दीवारों की मोटाई तथा उपयोग में लाई गई विभिन्न सामग्रियां भी ऐसे रेखाचित्रों (ड्राइंग्स) में अंकित आयामों द्वारा स्पष्ट रूप से दर्शाई जाएंगी.

(2) रेखांक में क्रमशः दर्शकों की वह संख्या, जिसे प्रस्तावित सिनेमा के विभिन्न भागों में बैठाया जाना आशयित है तथा उससे प्रत्येक व्यक्ति के लिए निश्चित किए जाने वाले स्थान का पर्याप्त वर्णन और किए गए कार्य का विवरण, उपयोग की गई सामग्री का पर्याप्त वर्णन और अपनाए जाने वाले निर्माण का तरीका संलग्न किया जाएगा. संवातनों के लिये खुले समस्त स्थान इस रेखांक में दर्शाए जाएंगे तथा विशेषताएं वर्णित की जाएंगी. रेखांक प्राधिकृत वास्तुविद् या अर्हित इंजीनियर द्वारा तैयार किया जाएगा तथा उस पर उसके हस्ताक्षर के अधीन इस आशय का प्रमाण पत्र होगा कि डिजाईनें सही तथा स्थायी हैं.

90. प्लान (रेखांक) को अनुमोदित करना :— (1) सिनेमा भवन के निर्माण लिए अनुज्ञा हेतु आवेदन तथा योजना प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा विद्युत/यांत्रिकी), मध्यप्रदेश क्षेत्रीय विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड, नगर तथा ग्राम निवेश, नगर निगम या जनपद परिषद्, आबकारी विभाग, नगर निगम या नगर पालिका परिषद् या जनपद परिषद् के स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा अथवा अग्निसुरक्षा के क्षेत्र में नामनिर्देशित किए गए अशासकीय विशेषज्ञ, स्थानीय स्वशासन के पदाधिकारियों और नामनिर्दिष्ट विद्युत् निरीक्षक, से मिलकर बनने वाले

निरीक्षक दल को जो सिनेमा परिसर/अनुज्ञप्त परिसर के निरीक्षण हेतु नामांकित किए गए हो, आवेदन पत्र एवं रेखांक की प्रति उपलब्ध कराएगा. यदि अग्निशमन सेवा विभाग का अधिकारी उपलब्ध न हो तो, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अग्निसुरक्षा के क्षेत्र में अशासकीय विशेषज्ञ इस हेतु नामनिर्दिष्ट किया जाएगा. वह आवेदक द्वारा उक्त कार्य हेतु 1000/- रुपये मानदेय एवं आने जाने का वास्तविक किराये का भुगतान किया जाएगा.

(2) उपरोक्त पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तावित स्थान एवं रेखांक का निरीक्षण किया जाएगा. अग्निशमन अधिकारी या अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में नामांकित अशासकीय विशेषज्ञ जो प्राधिकृत हैं, वह अग्नि सुरक्षा के लिये पर्याप्त उपायों के बारे में रिपोर्ट देगा. लोक निर्माण विभाग (भवन तथा विद्युत/यांत्रिकी), नगर एवं ग्राम निवेश, नगर निगम या जनपद परिषद्, स्थानीय स्वशासन के पदाधिकारी तथा नामनिर्देशित विद्युत् निरीक्षक, जो भी इससे संबंधित हों, भवन की संरचनात्मक संख्या का परीक्षण करेंगे और भवन प्राधिकारी उसकी रिपोर्ट अनुज्ञापन अधिकारी को पेश करेगा. सिनेमा भवन की संरचना, समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के अनुसार साथ ही मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के अनुरूप होनी चाहिए. मध्यप्रदेश क्षेत्रीय विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड विभाग के पदाधिकारी भवन/स्थल का निरीक्षण करेंगे तथा उनकी रिपोर्ट अनुज्ञापन प्राधिकारी को देंगे. नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी निरीक्षण करेंगे तथा स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट करेंगे.

91. भवन की अनुज्ञा.—समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के साथ ही मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के उपबंध के अधीन बने मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के उपबंधों के अनुसार संरचना प्रमाणित होने के पश्चात्, अनुज्ञापन प्राधिकारी, आवेदक को अंतिम रूप से अनुमोदित रेखांक के अनुसार सिनेमा बनाने के लिये लिखित में अनुज्ञा दे सकेगा.

92. अनुज्ञा दो वर्षों तक वैद्य होगी.—अनुज्ञापन प्राधिकारी, समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के उपबंधों के अनुसार साथ ही मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए निर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी जो दो वर्षों की कालावधि के लिए वैद्य होगी. युक्तियुक्त कारणों से, निरीक्षण दल की अनुशंसा पर इस अनुज्ञा की अवधि में अधिकतम दो बार छह माह की वृद्धि की जा सकेगी और ऐसी बढ़ाई गई कालावधि के दौरान सिनेमा भवन का निर्माण पूरा करना होगा.

93. रेखांक में उपांतरण.—निर्माण करते समय रेखांक में उपांतरण तभी किया जाएगा जब अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा विद्युत/ यांत्रिकी) मध्यप्रदेश क्षेत्रीय विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, नगर तथा ग्राम निवेश, नगरपालिक निगम या जनपद परिषद्, आबकारी विभाग, नगर निगम या नगरपालिक परिषद् या जनपद परिषद् के स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवाएं अथवा अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में नामनिर्दिष्ट किए गए अशासकीय विशेषज्ञ, स्थानीय स्वशासन के पदाधिकारियों और नामनिर्दिष्ट विद्युत् निरीक्षक जो सिनेमा परिसर/ अनुज्ञप्त परिसर के निरीक्षण हेतु नामनिर्दिष्ट किए गए हो, से मिलकर बनने वाले निरीक्षण दल की सिफारिश पर पूर्व अनुमोदित रेखांकों पर उपांतरण की पूर्विक अनुज्ञा देगा जो यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के उपबंधों के अनुसार साथ ही मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के अनुरूप होगी.

94. परिवर्धन या परिवर्तन.—अनुज्ञापन प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी सिनेमा में कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं किए जाएंगे.

96. निर्माण एवं संरचना का निरीक्षण.—(1) सिनेमा भवन के निर्माण की अनुज्ञा या पुनर्अनुज्ञा के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी को, समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के उपबंधों के साथ ही मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के अनुरूप पालन सुनिश्चित करना होगा, भवन के निर्माण के लिए, अग्नि सुरक्षा के उपबंधों को, जो समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के भाग 4 में वर्णित किए गए हैं तथा दर्शकों और कर्मचारियों को बाहर निकलने के लिए अग्नि सुरक्षा उपाय स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के संबंध में भी इंतजाम भवन तथा संरचना में किए गए हों जैसा कि अनुज्ञापन प्रधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा विद्युत/यांत्रिकी), मध्यप्रदेश क्षेत्रीय विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, नगर एवं ग्राम निवेश, नगरपालिक

निगम या जनपद परिषद् आबकारी विभाग, नगर निगम या नगरपालिक परिषद् या जनपद परिषद् का स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा या अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में नामनिर्दिष्ट किए गए अशासकीय विशेषज्ञ, स्थानीय स्वशासन के पदाधिकारियों और नामनिर्दिष्ट विद्युत् निरीक्षक जो कि इस कार्य के लिए नामांकित किए जाएं से मिलकर बनने वाले निरीक्षण दल द्वारा प्रमाणित किया जाए. ऐसी संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति जो कि सम्यक् हस्ताक्षरित हो, आवेदक को या संबंधित भवन/ अनुज्ञप्त परिसर के स्वामी को उपलब्ध कराई जाएगी तथा अभिस्वीकृति की प्रति प्राप्त की जाएगी.

(2) यदि संरचना, समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के उपबंधों के साथ ही बनाए गए मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के उपबंधों के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 के अनुरूप या कोई बदलाव मिलता है तब ऐसे बदलाव, संबंधित भवन/ अनुज्ञप्त परिसर के स्वामी को सूचित किए जाएंगे.

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी, तब तक अनुज्ञप्ति/ नवीकृत अनुज्ञप्ति/ अनुज्ञा जारी नहीं करेगा जब तक कि ऐसे बदलाव ठीक न कर लिए जाएं.

(4) अनुज्ञापन प्राधिकारी, प्रत्येक सिनेमा या मल्टीप्लेक्स में सिनेमा के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा विद्युत्/यांत्रिकी), मध्यप्रदेश क्षेत्रीय विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, नगर तथा ग्राम निवेश, नगर निगम या जनपद परिषद्, आबकारी, नगर निगम या नगरपालिका परिषद् या जनपद परिषद् का स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा या अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र से नामनिर्दिष्ट किए गए अशासकीय विशेषज्ञ, स्थानीय स्वशासन का पदाधिकारी तथा नामनिर्दिष्ट विद्युत् निरीक्षक जो इस कार्य के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाएं, के दल से संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा. इस संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में दल, भवन संरचना, अग्नि से जीवन सुरक्षा तथा सभी विधिक उपबंध तथा जारी किए अनुदेशों का पालन करेगा.

(5) निरीक्षण दल, वर्ष में कम से कम एक बार प्रत्येक सिनेमा/ मल्टीप्लेक्स का निरीक्षण करेगा. इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक सिनेमा अथवा मल्टीप्लेक्स के अनुज्ञप्तिधारी को एक निश्चित निरीक्षण शुल्क, जो कि नियम 106 में उपबंधित है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम सप्ताह में अग्रिम में जमा करना होगा.

(6) निरीक्षण दल, अनुज्ञापन प्राधिकारी को विधिक प्रावधानों के पालन संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा. संयुक्त निरीक्षण के दौरान पाई गई किन्हीं कमियों को अनुज्ञापन प्राधिकारी की जानकारी में भी लाया जाएगा जिससे कि वह यथास्थिति, आवेदक या अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगा तब अनुज्ञापन प्राधिकारी, यथास्थिति, आवेदक या अनुज्ञप्तिधारी को ऐसी त्रुटियों को दूर करने के लिए कहेगा अन्यथा अनुज्ञप्ति के निलंबन/ निरस्तीकरण के लिए कदम उठाए जा सकते हैं.

(7) संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी नामनिर्दिष्ट विद्युत् निरीक्षक के साथ संबंधित मध्यप्रदेश क्षेत्रीय विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड के पदाधिकारी फिल्म प्रदर्शन समय से भिन्न समय पर सिनेमा भवन/ अनुज्ञप्त परिसर का नियमित निरीक्षण करेंगे. आपात स्थिति या अचानक निरीक्षण यदि प्रदर्शन समय के दौरान किया जाता है तो ऐसे प्रदर्शन में बाधा/ विलंब नहीं डालेगा.

97. अनुज्ञप्ति नामंजूर करने की शक्ति.—यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी संयुक्त निरीक्षण दल की रिपोर्ट पर यह पाता है कि समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के साथ ही मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 में अधिकथित मानकों के अनुसार निर्माण नहीं किया गया है. तो अनुज्ञापन प्राधिकारी सिनेमा चलाने की अनुज्ञप्ति को नामंजूर कर सकेगा.

15. नियम 100 तथा 101 के स्थान पर निम्नलिखित नियम क्रमशः स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"100. सिनेमा अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र.—किसी सिनेमा या मल्टीप्लेक्स में सिनेमा चलाने के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु कोई व्यक्ति या किसी कंपनी की दशा में, उसकी ओर से ऐसी कम्पनी का संचालक नियम 88 तथा नियम 89 के उपबंधों की शर्तों में अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन, आवेदक के हित तथा उसके संबंध की सीमा तक आवेदन

कर सकेगा. आवेदन में नामनिर्दिष्ट प्रबंधक/ प्रबंधकों, विद्युत् संस्थापन प्रभारी का नाम तथा इलेक्ट्रीशियन तथा सिनेमा प्रचालक का नाम तथा पता अंतर्विष्ट होंगे. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होंगे—

(एक) प्रस्तावित भवन अभिविन्यास का अनुमोदित नक्शा जो कि नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित हो तथा संबंधित नगर निगम/ नगरपालिक परिषद्/ नगर पंचायत द्वारा दी गई भवन अनुज्ञा;

(दो) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा आवेदक को सिनेमा के निर्माण के लिए समय-समय पर यथा संशोधित भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के उपबंधों के साथ ही मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 तथा इन नियमों के नियम 9 के अनुसार सिनेमा भवन की संरचना की योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित करने के पश्चात् जारी की गई मूल अनुज्ञा;

(तीन) एक प्राधिकृत वास्तुविद या योग्य यंत्री एवं निरीक्षण दल के सदस्यों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित इस आशय का एक प्रमाण-पत्र कि सिनेमा भवन/ मल्टीप्लेक्स में सिनेमा का निर्माण भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 (समय-समय पर संशोधित) ''अग्नि एवं जीवन सुरक्षा के भाग 4 के अनुसार हुआ है.

(चार) संबंधित क्षेत्र के विद्युत् निरीक्षक से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि सिनेमा के विद्युत् संस्थापन चालू हालत में हैं और उसके द्वारा निरीक्षित एवं पारित किया जा चुका है तथा अनुज्ञप्तिधारी ने समस्त नियमों तथा विनियम का अनुपालन किया है और विद्युत् संयंत्र तथा प्रक्षेप उपकरण योग्य व्यक्ति के प्रभार में हैं.

(पांच) संबंधित प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र कि सिनेमा भवन में दूरभाष चालू हालत में संस्थापित किया गया है.

(छह) इन नियमों में की कोई भी बात पर्यटन सिनेमाओं पर लागू नहीं होगी.

(सात) मध्यप्रदेश क्षेत्रीय विद्युत् वितरण कम्पनी लिमिटेड के संबंधित कार्यपालक यंत्री या अनुज्ञप्तिधारी विद्युत् ठेकेदार से इस आशय का प्रमाण-पत्र कि तड़ित संवाहक सम्यक् रूप से संस्थापित किए गए हैं. ऐसा प्रमाण-पत्र ऐसे तड़ित संवाहक के मामलों में नियमित परीक्षण द्वारा भूमि के वास्तविक प्रतिरोध को वर्णित किया जाएगा.

101. सिनेमा अनुज्ञा की मंजूरी.—अनुज्ञापन प्राधिकारी, नियम 100 में निर्दिष्ट दस्तावेजों तथा प्रमाण-पत्रों के प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण दल की रिपोर्ट से संतुष्ट होने पर कि समस्त नियमों का अनुपालन कर लिया गया है, आवेदक को, ऐसे निर्बन्धनों एवं शर्तों के अधीन जैसा कि उनके द्वारा विनिश्चत किया जाए, अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा. सिनेमा अनुज्ञप्ति प्ररूप ङ में होगी:

परन्तु पर्यटन सिनेमा अनुज्ञप्ति जिस जिले के लिए जारी की गयी है, उस जिले से परे नहीं होगी. सामान्यतया पर्यटन सिनेमा के लिए अनुज्ञप्ति उन स्थानों के लिए, जहां कि पहले से ही स्थायी या स्थायीवत् (क्वासी-परमानेंट) सिनेमा है, मंजूर नहीं की जाएगी. किन्तु अनुज्ञापन प्राधिकारी, अपने स्वविवेक से, उन स्थानों पर जहां पहले से स्थायी या स्थायीवत् (क्वासी-परमानेंट), सिनेमा हैं, ऐसे अवसरों पर जैसे कि नुमाईश या मेले या जब गैर पर्यटन सिनेमा से एक भिन्न प्रकार की फिल्म प्रदर्शित करे या जब पर्यटन सिनेमा, गैर पर्यटन सिनेमा द्वारा प्रदर्शित फिल्मों जैसे कि शैक्षणिक फिल्में जहां वह भिन्न लोगों के लिए प्रबंध करता हो, के प्रदर्शन के लिए पर्यटन सिनेमा की अनुज्ञा दे सकेगा.''.

16. नियम 105 तथा 106 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम क्रमशः स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

''105 अनुज्ञप्तियों का नवीकरण.—अनुज्ञापन प्राधिकारी नियम 103 के अधीन ऐसे प्रयोजन के लिए किए गए एक आवेदन पर अनुज्ञप्ति का नवीकरण कर सकेगा. नवीकरण के लिए आवेदन नियम 100 में अधिकथित रीति के अनुसार किया जाएगा किन्तु नियम 100 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ भवन निर्माण की अनुज्ञा तथा निरीक्षण दल की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति को संलग्न करना आज्ञापक होगा:

परन्तु पर्यटन सिनेमा इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व और सिनेमा प्रदर्शन के लिए उपयोाग हेतु सम्यक् रूप से अनुज्ञप्त सिनेमा परिसर के मामले में निरीक्षण दल की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति के साथ नियम 100 में दी गई प्रक्रिया के अनुरूप नवीकरण मांग सकेंगे.

106. फीस.—सिनेमा अनुज्ञप्ति या अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए फीस तथा संयुक्त निरीक्षण के लिए फीस निम्नानुसार होगी:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	ब्यौरे (2)	रकम (3)
1.	निरीक्षण दल की संयुक्त निरीक्षण हेतु विहित फीस	
	(क) निर्माण के समय प्राथमिक निरीक्षण हेतु फीस	रुपये 5000.00
	(ख) वार्षिक निरीक्षण फीस	रुपये 1000.00
2.	पर्यटन सिनेमा हेतु प्राथमिक निरीक्षण हेतु फीस	रुपये 1000.00
3.	अनुज्ञप्ति की मंजूरी या उसके नवीकरण हेतु फीस	रुपये 2500.00
	(क) एक वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति फीस	रुपये 2500.00
	(ख) एक वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति नवीकरण फीस	रुपये 2500.00

17. नियम 122 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अध्याय आठ में अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"122-क. निबंधनों और शर्तों का अनुपालन.—सिनेमा अथवा मल्टीप्लेक्स में सिनेमा के अनुज्ञप्तिधारक को अनुज्ञप्ति में उल्लिखित निबंधनों एवं शर्तों का पालन करना होगा तथा इसके अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों का भी पालन करना होगा:—

(एक) अनुज्ञापन प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना कोई उपकरण जैसे लाउड स्पीकर, संगीत या ग्रामोफोन, बेंड (बाजा), ड्रम, बेल, हार्न, सीटी, सायरन या अन्य कोई उपकरण जो तेज शोर करता हो, का उपयोग न तो विज्ञापन के लिए अनुज्ञप्त परिसर में या बाहर उपयोग किया जाएगा न ही कोई ऐसा संस्थापित किया जाएगा.

(दो) अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी फिल्म का प्रदर्शन नहीं करेगा जो बोर्ड आफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा प्रदर्शन हेतु उपयुक्त न पाई जाए. जब कभी ऐसी फिल्म प्रदर्शित की जाती हैं तब इस आशय का प्रमाण-पत्र बिना किसी परिवर्तन या छेड़छाड़ के प्रदर्शित किया जाएगा.

(तीन) किसी भी सिनेमा के अनुज्ञप्त परिसर में, ऐसा कोई पोस्टर, विज्ञापन रेखा चित्र या कार्यक्रम प्रदर्शित/ बेचा/ उपलब्ध नहीं कराया जाएगा जो नैतिकता के लिए खतरनाक या अपराध उकसाने वाला या किसी विसंगति को जन्म देने वाला या लोगों के किसी समूह की भावना को ठेस पहुंचाने वाला हो या किसी भी जीवित व्यक्ति को घृणास्पद रूप में प्रदर्शित करता हो.

(चार) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त परिसर में पोस्टर प्रदर्शन के संबंध में अनुज्ञापन प्राधिकारी के निदेशों का पालन करेगा.

(पांच) सरकार अथवा कोई अन्य अधिकारी जो कि इस प्रयोजन हेतु अधिकृत किया जाए. के द्वारा किसी फिल्म या चलचित्र स्लाइड (लेन्टर्न स्लाइड) का अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदर्शन नि:शुल्क किया जाएगा परन्तु ऐसी फिल्म के या लैन्टर्न स्लाइड के प्रदर्शन अवधि कुल 15 मिनिट से अधिक नहीं होगी तथा इसकी अवधि 15 मिनिट से अधिक होती है तो उसका प्रदर्शन नहीं कर सकेगा जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी को उस फिल्म को प्रदर्शन के लिए 24 घण्टे के पूर्व दी गई हो.

(छह) अनुज्ञापन प्राधिकारी की अनुमति के बिना, अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्त परिसर या भवन या फिल्म का हस्तांतरण नहीं करेगा.

(सात) अनुज्ञापन प्राधिकारी की अनुमति के बिना, अनुज्ञप्तिधारी किसी अन्य व्यक्ति को, अनुज्ञप्त परिसर में फिल्म का प्रदर्शन करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा.

(आठ) अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत व्यक्ति किसी भी वक्त फिल्म का निरीक्षण कर सकेगा और इस अनुज्ञप्तिधारी ऐसे निरीक्षण हेतु समस्त व्यवस्था करेगा, जैसा कि निरीक्षण अधिकारी द्वारा आदेशित किया जाए.

(नौ) अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे किसी भी फिल्म का प्रदर्शन जो कि बोर्ड आफ फिल्म सर्टिफिकेशन द्वारा वयस्कों के लिए प्रमाणित की गई हो, अव्यस्क को नहीं करेगा.

(दस) ऐसे सभी व्यक्ति जो अनुज्ञप्त परिसर में टिकिट खरीदने हेतु इच्छुक हैं, को टिकिट क्रमबद्धता में स्थानीय पुलिस अधीक्षक की संतुष्टि के अध्यधीन रहते हुए जारी किए जाएंगे.

(ग्यारह) अनुज्ञप्तिधारी अपने समस्त आगन्तुकों को हाथ में रखने वाले मेटल डिटेक्टर और डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर से जांच कर, अनुज्ञप्त परिसर में प्रवेश देगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि टिफिन बाक्स, बैग, ब्रीफकेस आदि में कोई अग्नेय शस्त्र या विस्फोटक या ऐसी कोई अन्य सामग्री जो इनको छुपाने के लिए प्रयोग की जा सकती हो, अनुज्ञप्ति परिसर में ले जाने नहीं दी जाएगी.

(बारह) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मचारी सिनेमा टिकिटों को विहित रीति में, विहित स्थान पर, विहित दर पर विक्रय करते हैं तथा अधिक कीमत पर इनका विक्रय नहीं करते हैं. अनुज्ञप्तिधारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि कोई अनाधिकृत व्यक्ति अनुज्ञप्त परिसर में टिकट विक्रय नहीं करेगा.

(तेरह) किसी फिल्म के प्रदर्शन के लिए विभिन्न श्रेणियों के टिकिटों की संख्या उस विशिष्ट श्रेणी में सीटों की संख्या से अधिक नहीं होगी. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विक्रय की गई टिकिट पर निम्नलिखित ब्यौरे अंकित होंगे:—

(क) प्रदर्शन का दिनांक तथा समय;

(ख) यदि सिनेमा हाल को टिकिट के मूल्य के अनुरूप या अन्य मानकों से विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया हो तो वह श्रेणी जिसके लिए टिकिट वैद्य है;

(ग) टिकिट का अनुक्रमांक (यदि सिनेमा हाल टिकिट के मूल्य के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बाटा गया हो तो, प्रत्येक श्रेणी का एक विशिष्ट अनुक्रमांक होगा);

(घ) इस प्रकार विक्रय किए गए टिकिट पर, सीट नम्बर लिखा जाएगा. सीट नम्बर के बिना टिकिट का विक्रय निबंधनों तथा शर्तों का अतिक्रमण माना जाएगा:

परन्तु यह प्रावधान उस जगह पर नहीं लागू होगा, जहां बैठक व्यवस्था तल पर है.''.

18. नियम 123 के उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उपनियम अंत:स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

''(3) सिनेमा/ मल्टीप्लेक्स में सिनेमा के मालिक/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्त नियम की किसी शर्त का उल्लंघन करने की दशा में सनेमा/ मल्टीप्लेक्स में सिनेमा की अनुज्ञप्ति रदद की जा सकती है. उक्त भवन का जल प्रदाय/विद्युत् कनेक्शन विच्छेद किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त, सक्षम प्राधिकारी उक्त भवन को 'सील' करने की कार्यवाही कर सकेगा.

(4) सिनेमा/ मल्टीप्लेक्स में सिनेमा के मालिक/अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सूचना की शर्तों का पालन न करने की दशा में रुपये तीन हजार प्रतिदिन अर्थदण्ड से दण्डित किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2010

क्र. (21) बी-5-11-2008-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (21) बी-5-11-2008-2-पांच, दिनांक 2 नवम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 2nd November 2010

(21) F. No. B-5-11-2008-2-V.—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Madhya Pradesh Cinemas (Regulation) Act, 1952 (XVII of 1952), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Cinemas (Regulation) Rules, 1972, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 2,—

(i) after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:—

"(da) "fire resistance" means the time taken by a material, subject to prescribed conditions of heat and load or restraint for fulfilling its function of contributing to the fire safety of the licensed place as specified in 15.3809-1996 fire resistance test of structure;

(d) "Fire Safety Management" means provisions of para 4, Fire and Life Safety of the National Building Code of India, 2005 as amended from time to time;";

(ii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:—

"(ea) "inspection team" means such a team which has been authorized by the Licensing Authority i.e. District Magistrate which shall include District Magistrate himself or Additional District Magistrate designated by Licensing Authority and officials of the Department of Police, Public Works Department (Building, Electrical and Mechanical), Madhya Pradesh Kshetriya Vidyut Vitaran Company Limited, Town and Country Planning, Excise, Health or other concerning Department of Municipal Corporation or Municipal Council, Fire Services, Local Self Government and designated Electrical Inspector, who may be nominated for inspection of Cinema premises/ licensed premises;";

(iii) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:—

"(ga) "Multiplex/ Multi dimensional Amusement Centre" means such amusement centres, which have invested of Rs. 2 Crore or more on construction and which have at least following minimum facilities:—

(i) minimum two cinema houses with combined audience capacity of five hundred audiences and in which at the same time at least two films can be exhibited;

(ii) Video game arcade;

(iii) Fast food centre;

(iv) Space and arrangement for playing and entertainment of children, and

(v) Vehicle parking arrangements.".

2. For rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

"3. **Application for permission.**—Applicant shall submit an application to the Licensing Authority along with an approved map of the proposed building for which planning permission has been issued by the Directorate of Town and Country Planning and building construction permission has been issued by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/ Nagar Panchayat, as the case may be.".

3. Rule 4 shall be deleted.

4. Rule 5 shall be deleted.

5. Rule 6 shall be deleted.

6. For rule 7, the following rule shall be substituted, namely:—

"7. **Building rules.**—No cinema shall be licensed under these rules unless the cinema confirms to be rules laid down in this Chapter and unless the structure of the Cinema building is in accordance with the provisions of the National Building Code of India, 2005, as amended from time to time, along with the provisions of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984:

Provided that rule 8, 12, 13, 14, 15, 16, 19 (1), 19(2), 20, 21, and 22 shall apply in case of touring cinemas.".

7. For sub-rule (1) of rule 8, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) All Cinema Buildings/Cinema in Multiplex should be constructed of such fire resistant material so to be in conformity with the Part 4, Fire and Life Safety of the National Building Code of India, 2005 as amended from time to time.".

8. For rule 9, 10 and 11, the following rules shall respectively be substituted, namely:—

"9. **Construction**.—(1) All Cinema buildings/Cinema in Multiplex shall be constructed in conformity and in accordance with the provisions of the National Building Code of India, 2005 (as have been amended from time to time) and read with the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 and the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984 and the provisious of City Development Plan.

(2) Cinema buildings/Cinema in Multiplex should be constructed with fire resistance construction material so be in conformity with the provisions of part 4 Fire and Life Safety of the National Building Code of india, 2005, as amended from time to time. The outer wall and the part wall of the Cinema building/Cinema in Multiplex shaould be constructed with fire resistant material so to be in conformity of part 5 Building Material of the National Building Code of India, 2005, as amended from time to time. Cinema buildings/Cinema in Multiplex should have a proper outer wall of bricks/stones/concrete(solid, hollow or processed) and the roof, walls and the floor of the Auditorium hall which are used by the public should be made up of fire proof material of the specifications contained in India standards 12777-1989, Class1.

(3) The structure, design and building materials i.e. wood, concrete, reinforced concrete, pre cast concrete of Cinema Buildings/Cinema in Multiplex should be in Accordance with and in conformity with provisions of part 6 Structural Design of the National Building Code of India, 2005, as amended from time to time.

(4) The infrastructrure design of Cinema buildings/Cinema in Multiplex and the building component, of wood, concrete, processed concrete, pre fabricated concrete should be in accordance with and in conformity with the provisions of Part 6 Structural design of the National Building Code of India, 2005, as amended from time to time, so to be earthquake resistant.

(5) Nothing in this rule apply to premises duly licensed in any part of the State for use for cinematograph exhibition before the coming into force of these rules;

Provided that open spaces under the auditorium and stage in such premises, where they exist, shall not be rented or used as godowns but may be used for storing cinema implements, such as advertisement boards and trolleys, if they are properly arranged and taken care of.

10. **Height of tiers.**—Where the first tier or Balcony extends over any part of the auditorium the height between the floor of the auditorium and such tier or balcony shall not be at any part less then 3600 millimetres. The floor of the highest part of such tier or balcony and the lowest part of the celling over the same shall not be less than 3600 millimetres. The height between the several tiers shall in no case be less than 2400 millimetres:

Provided that nothing in this rule shall apply to the premises duty licensed in any part of the State for use of cinematograph exhibition before the coming into force of these rules.

11. **Entrance and exist to be on public thoroughfare.**— Cinema activity on the site shall be approved only when the exist necessity of the cinema is on a public road of prescribed width in accordance with the provision of rule 82 of the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984 made under the provision of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and the plans and develpment plans/zonal plans approved under them. In such towns where development plans are not approved, there the minimum width of the road should be accepted as has been prescribed under the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984.".

9. For sub-rule (1) of rule 12, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) Exits shall be provided in accordance with the provisions of rule 82 of the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984, Two separate exits not opening on the same thoroughfare of public passage shall be provided from the stage and from the auditorium floor and from every tier which accommodates not more than 500 individuals, and where the auditorium floor or any tier accommodates more than 500 individuals, exits shall be provided at the rate of one for every 250 individuals and one for any less number in excess. Each of such exits shall be of not less than 5 feet width between the leaves of the door when open.".

10. For rule 13, 14, 15, 16, 17 and 18, the following rules shall respectively be substituted, namely:—

"13. **Seating**.—(1) The seating arrangement in the auditorium should be in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984 by that the exit is always clear without any hindrance.

(2) But anything in these rules shall not be applicable to the cinema halls licensed prior to the issue of this notification.

14. **Gangways**.—(1) The passage or gangway at the sides and centre should be constructed in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984.

(2) The main passage should be of the width of 1200 millimetres and the side passage should have a width of minimum 1000 millimetres.

(3) At least two vertical passages should be directly connected to the exit door and for this purpose it the corner passage is connected to the exit door then the width of the gangway should not be less than 12000 millimetres.

(4) For direct exit the width of the parallel gross passage is not less than 1000 millimetres between the row of seats. For every 10 rows there should be at least one horizontal passage.

(5) All exit passage, vertical passages, stairs and all other surface should be of friction full surface.

(6) All the carpet on floor, mats, marble and all flooring footons inside a cinema hall should be properly affixed to the surface. All the main passages/ corner passages, the central stairs/flooring should be as placed like that no obstruction takes place in movement of audiences while exhibition. Light lamps near the stairs should not of more than 24 watt.

(7) All the passages for exit and exit doors should be free from any obstructions. So that in case of emergency/fire, all occupants in the building may leave the premises within 2 to 3 minutes.

(8) If stairs have been fitted in the passage or circulation space then there should be at least one or three stairs in continuation and the width of the landing should not be less than 300 milimetres. All the stairs should be of the same length, width and height.

15. **Doors**.—(1) All doors of the cinema hall shall be in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984 and shall have minimum height of 2000 millimetres and width of 2000 milimetres. All the doors shall open outwards to lie finish with the outside of the wall and they may not obstruct any passage, circulation space, stairs or stage when they are opened.

(2) There should be appropriate doors on both the corners and on back side of the cinema hall, by that two or more local passage people move fastly.

(3) Every exit or passage which reaches to the confirm place of exit should have a door of at least 2000 milimetres width or of such width which may be necessary in the opinion of the licensing authority so to facilitate obstacle less exit of the crowd in the event of emergency, so that all the occupants in the building may be saved from any danger.

(4) All the doors on the way to the open space for the exit of the audience shall be kept open till audiences are in the cinema hall and available for the audiences and the doors are not in any condition be latched/locked and never be closed.

(5) All the exit doors except the main entrance should display "Exit" at a height of minimum 180 milimetres above the height of the door and 2180 milimetres above from the floor and should be clearly visible both in light as well as dark. This display should be illuminated with 12 watt LED devices in case fire fighting for rescue of occupants. The width of the letters "Exit" should be minimum 180 milimetres

16. **Width of corridor, etc**.—The stairs, lobby, passages or pathways which are not in the way of the seats which has been used for exit of the cinema building or multiplex cinema building shall as per the provisions of the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984, in which the width shall not be less than 2000 milimetres and in the passage walls there shall be no recesses or projection upto height of 2000 milimetres from the floor:

Provided that none of the provisions shall apply to the premises licensed for showing the films before commencement of these rules.

17. **Staircases**.—(1) All the stairs, inner roofs and outer terrace should be made up of fire proof bricks, stone, cement of concrete approved as per the specifications of the National Building Code of India, 2005, (as have been amended from time to time), read with Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973) and the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984 and the solid square (as distinguished from spandrel), stairs and stage should be made up of approved stone or other fire resistance material approved by the licensing authority.The upper treads of the stair should be width of not less than 300 milimetres and the risers should not be of more than 150 milimetres.

(2) The number of stairs in a cinema hall or a multiplex shall be as per the provisions of part 4 of the National Building Code of India, 2005, (as have been amended from time to time). Such number of stairs should be not less than 2, in which 50% stairs are devotional stairs as per the prescribed conditions. The width of the stairs going towards the corridor or upper floor are not less than 2000 millimetres.

(3) The stairs in a cinema hall or a multiplex should be affixed in the wall on both the ends and should have bracket joint hand rails of minimum width of 75 millimetres whcih should continue at least for height of 900 millimetres. It should have a gap of 300 millimetres between the upper and the lower end.

(4) If a ramp is made available in place of a stair then the ratio of the ramp should be 1:12 and its surface should be free of slippery material. The width of such ramp should be not less than 1500 millimetres and both the ends should have bracket joint hand rails of not less than width of 75 millimetres which should continue at least for a height of 900 millimetres.

(5) There shall be no recesses or projection in the stairs of a cinema hall of 1500 millimetres height from floor on wall and no decorative lighting equipment should be placed not less than height 2000 millimetres from the stairs.

(6) The head room of the stairs coming down should be minimum 2200 millimetres.

(7) No stairs exit space shall open aginst the direction of exit or in a passage.

(8) For reducing the slope of the ramp for the persons using a wheel chair, the open part of the ramp should have hand rails at a height 1500 millimitres.

(9) All the upper surfaces of the stairs and each of the treads should have equal and proportionate width and height.

(10) As per the provisions of the National Building Code of India, 2005 (as have been amended from time to time), read with the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984, it is advisable to provide for outer stairs in high rise cinema buildings and multiplexes, the following conditions for the external stairs are mandatory:

(a) outer stairs should always be functional;

(b) all outer stairs should be directly connected to the ground;

(c) the entrance of the outer stairs should be away from the inner stairs;

(d) special attention should be taken that no window or gate should open near or on the external stairs;

(e) passage of external stairs should be free from any obstructions at all times;

(f) external stairs should be made up of fire resistant material and all the gates to which stairs lead should be fire resistant;

(g) any external stair which may be used as an exit during fire should be not an angle of more than 45 degree from the horizontal plane;

(h) the rise of any external stair should be of minimum width of 1500 millimetres and its each flight should be of minimum 300 millimetres width and maximum 150 millimetres rise. Number of stairs in each flight should not be more than 15;

(i) in external stairs height of handles should be minimum 1000 mm and maximum 1200 millimetres. Brackets should be provided at a gap of 150 millimetres. Use of circular stairs should be kept at minimum so to maintain low pressure and should not be used for buildings having height of 9 metres and above. The gradient of circular stairs should not be less than 1500 millimetres with availability of sufficient head room. It should be seen that beams/columns should not reduce the head room or width of the stairs.

(11) The theatres/cinema halls licensed prior to commencement of these rules shall follow the provisions made for public safety from fire within six months from the publication of these rules. If Licensing Authority is of opinion that proper efforts has not been taken and more time is required for compliance, time may be extended maximum for a duration of next six months. Extension of another six months will be given to comply with the directions. If the compliance is not carried out even after one year the licence issued shall be suspended/cancelled.

18. **Ventilation**.—(1) Area of window, door and ventilator in a cinema or multiplex shall be in accordance with the National Building Code of India, 2005 (as have been amended form time to time) and provisions of the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984 made under the provisions of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973).

(2) Anything in these rules shall not affect the theatres/cinema halls licensed prior to commencement of thsese rules.".

11. In rule 19,—

(i) For sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely: —

"(2) The number of sanitary fittings and installation shall be in accordance with the provisions of table No. 21 of rule 89 of the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984. Separate accommodation shall be provided for males and females. They shall be so constructed as to cause no nuisance.";

(ii) after sub-rule (5), the following new sub-rule shall be inserted, namely:—

"(6) Every cinema owner shall install the automatic sensor for automatic flushing and cleaning of the toilets. The owner of operator of cinema shall maintain all the water closets or privy accommodation including the urinal accommodation in hygienic condition and shall regularly use anti-bacteria chemicals, cleaning and disinfectant materials, scouring power etc. in order to ensure complete cleanliness.".

12. For rule 73 and 74, the following rules shall respectively be substituted, namely:—

"**73. Water tanks**.—In cinema building or Cinema in multiplexes, for the purpose of fire fighting the water tanks that are being used for fire prevention should be as per the provisions of the part 4 "Fire and Life Safety" of the National Building Code of India, 2005 as amended from time to time. Installation of the automated sprinkling system should also be confirmed as per the provisions of the part 4 "Fire and Life Safety" of the National Building Code of India, 2005, as amended from time to time.

74. **Measures for fire safety**.—(1) In a cinema hall or multiplex, execution of fire safety plan should be made in accordance with part 4 "Fire and Life Safety" of the National Building Code of India, 2005, as amended from time to time.;

(2) In such buildings where cinema halls or multiplexes have been licensed for mixed use, then fire fighting arrangements like fire fighting equipment, wet riser, down comer, yard hydrant, automated sprinkler system, MOEFA (Manually Operated Electric Fire Alarm System), automatic

fire detector and alarm system, under ground water storage tanks, over head tanks and fire pump on the roof and other fire fighting equipments should be placed in accordance with part 4 "Fire and Life Safety" of the National Building Code of India, 2005, as amended from time to time.

(3) In a cinema hall or multiplex adequate arrangement should be made for ventilation of smoke or should install mechanized smoke exhaust system or automated smoke detection system or any other system may be installed on the advice of responsible Fire Safety Officer as may be notified by the licensing authority in accordance with Part 4 "Fire and Life Safety" of the National Building Code of India, 2005, as amended from time to time.

(4) All the interior designing and the material so used in a cinema hall or multiplex should be such to be fit for prevention of first grade fire and in accordance with part 4 "Fire and Life Safety" of the National Building Code of India, 2005, as amended from time to time.

(5) Licensing Authority can expect from licensee of a cinema hall or multiplex to make extra arrangements for fire safety depending on the size and context of the building.

(6) A lighting conductor should be installed in a cinema hall or multiplex in accordance with part 4 "Fire and Life Safety" of the National Building Code of India, 2005, as amended form time to time.

13. After sub-rule (2) of rule 76, the following new sub-rules shall be added, namely:—

"(3) In cinema halls or multiplex where fire may not become self manifest, it is necessary to install automated fire detection and alarm system so that users may be warned before spread of fire so to facilitate their early and easy exit. Fire detection and fire fighting system should be in accordance with the standards of the part 4 "Fire and Life Safety" of the National Building Code of India, 2005 (as have been amended form time to time).

(4) All the wiring used in a building should be in accordance with part 8 of Building Services of the National Building Code of India, 2005 (as have been amended from time to time).

(5) The place in building where television is installed should have properly arranged external antenna and lighting conductor.

(6) In all the rooms meant for storage of inflammable liquid, it should be mentioned in English at a height of 2500 millimetres at the doors "Fire door-keep close".

(7) **Fire emergency Alarm System**.—All the buildings of 15 metres or more height should have MORFA (Manually Operated Electrical Fire Alarm) in accordance with part 4 "Fire and Life Safety" of the National building Code of India, 2005 (as have been amended from time to time). Manually Operated Electric Fire Alarm Warning System should be so installed so to have one or more call boxes on each of the floor. All such call boxes shall be in accordance with part 4 "Fire and Life Safety" of the National Code of India, 2005 (as have been amended from time to time).

(8) All the buildings of Cinema/Multiplex etc. be fitted with Public Address System. Modern Digital Video/CC TC Cameras shall also be installed in the Cinemas/Multiplex in such manner, so that digital photo of every person coming in building be maintained at least for a period of 90 days.

(9) A designated Fire Safety Officer of their own be made available compulsorily in every Cinema/ Multiplex Cinema at the time of show of cinema, so that in case of any fire accident, till arrival of Fire Service vehicle control over the situation can be maintained.

(10) In-house practice of staff having training in fire safety with competent Fire Authority/Fire Officer will be compulsory at interval of every three months so that at the time of fire accident better control could be made.".

14. For rule 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96 and 97 the following rules shall respectively be substituted, namely:—

"87. **Building permission for construction of Cinema halls** .—No person shall put up any building or structure or convert an existing premises for being used as a cinema except after taking permission from the Town and Country Planning Department under the provisions of the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984 made under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 and building construction permission from Municipal Corporation/ Municipal Council/ Nagar Panchayat with the previous permission in writing of the licensing authority.

88. Application for license.—Any person desirous of making a cinema/ multiplex building or structure shall make an application in writing to the licensing authority but in the case of a Company it should be made by the Director of the Company. With every such application, a copy of planning permission of the proposed site of cinema hall/ multiplex with has been approved as per the provisions of the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984 made under the provisions of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 and building permission from concerned Municipal Corporation/Municipal Council/ Nagar Panchayat shall be made available to the licensing authority.

89. Application to be accompanied by plans.—(1) The application shall be accompanied with the complete plans, elevations and sections of the proposed cinema or multiplex therewith drawn correctly to scale of 3 millimetres to 30 centimetres and by a block plan on a separate paper showing the position of the proposed cinema in relation to any adjacent premises and to the public thoroughfare upon which the site of such proposed cinema abuts, drawn to scale of not less than 6 millimitres to 30 centimetres. The cardinal points shall be marked on such plans. All drawings shall be coloured to distinguish the material to be employed in the construction of the building and erections. The width of all the staircases and the number of steps in each, the width of corridor, gangways and doorways together with height of any galleries or tires in the proposed cinema and in any of the erection or building in connection therewith as are more than one tier in height shall be indicated on such drawings, as well as the floor and roof, ventilation and the details of any electric installation. The thickness of the walls and scantling of the various materials used shall be clearly shown in such drawings by figured dimensions.

(2) The plan shall show the respective numbers of audience intended to the accommodated in the various parts of the proposed cinema and the space to be assigned to each individual thereof and shall be accompanied by the specifications of the works to be executed sufficiently describing the material to be employed and mode of construction to be adopted. All openings for ventilation shall be shown in this plan and described in the specification. The plan shall be prepared by an authorized architect or qualified engineer and shall bear a certificate under the signature to the effect that the designs are sound and stable.

90. Plans to be approved.—(1) On receiving the application and plan for permission for construction of cinema building, the licensing authority shall provide a copy of application and plan to inspection team comprising of Additional District Magistrate designated by Licensing Authority and Officials of the Department of Police, Public Works Department (Building and Electrical/ Mechanical), Madhya Pradesh Kshetriya Vidyut Vitaran Company Limited, Town and Country Planning, Municipal Corporation or Janpad Council, Excise, Health Department of Municipal Corporation or Municipal Council or Janpad Council, Fire Services or nominated non Government expert from the field of Fire Safety, Local Self Government and designated Electrical Inspector, who may be nominated for inspection of Cinema premises/ licensed

premises. If officials of the department of Fire services is not available, then District Magistrate may nominate a non Government expert from the field of Fire Safety. He shall be paid an honorarium of Rs. 1000/- and actual travelling expenses, by the applicant.

(2) The aforesaid officers shall inspect the proposed place and the plan. The Fire Safety Officer or nominated non Government expert from the field of Fire Safety so authorized shall report about the proper measures for fire safety. Officials of the Department of Public works Department (Building and Electrical/ Mechanical), Town and Country Planning, Municipal Corporation or Janpad Council, Local Self Government and designated Electrical Inspector, whosoever may be concerned shall examine the structural strength of the building and building authority shall present its report to the licensing authority. The structure of the cinema building should be in accordance with the provisions of the National Building Code of India, 2005 as amended from time to time along with in conformity to the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984 made under the provisions of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973. Officials of the Department of Madhya Pradesh Kshetriya Vidyut Vitaran Company Limited shall inspect the building/site and shall give its report to the licensing authority. Officials of the Health Department of Municipal Corporation shall inspect and report the conditions pertaining to health and sanitary.

91. Permission to Build.—After certifying the structure to be in accordance with the National Building Code of India, 2005 as amended from time to time along with the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984 made under the provisions of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973, the licensing authority may grant permission in writing to the applicant to put up the cinema in accordance with the plans finally approved.

92. Permission to be valid for two years.—Licensing authority shall give permission to built subject to the provisions of the National Building Code of India, 2005 as amended from time to time, along with the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984 made under the provisions of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 which shall be valid for a period of two years. For rational reasons on the recommendation of the inspection team this permission may be extended for a duration of six months, maximum up to two times and the construction of the cinema will have to be completed during such extended period.

93. Modification in plans.—Modifications in the plan while construction shall be made when the Licensing authority shall give the prior permission of modification on the previous approved plans on the recommendation of inspection team comprising the Additional District Magistrate designated by Licensing Authority and Officials of the Department of Police, Public Works Department (Building and Electrical/ Mechanical), Madhya Pradesh Kshetriya Vidyut Vitaran Company Limited, Town and Country Planning, Municipal Corporation or Janpad Council, Excise, Health Department of Municipal Corporation or Municipal Council or Janpad Council, Fire Services or nominated non Government expert from the field of Fair Safety, Local Self Government and designate Electrical Inspector, who may be nominated for inspection of Cinema premises/licensed premises, which shall be in accordance with the National Building Code of India (as amended) along with the conformity of the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984 prepared under the provisions of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

94. Addition and alteration.—No addition or alteration shall be made in a cinema except with the written prior permission of the Licensing authority.

96. Inspection of construction and structure.—(1) For permission or re-permission of construction of cinema building, the licensing authority will have to ensure compliance of the provisions of the National Building Code of India, 2005 as amended from time to time along with in conformity of the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984 made under the provisions of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 for the construction of the

building and also the provisions of Fire Safety as have been mentioned in part 4 of the National Building Code of India, 2005 as amended from time to time, and also the Fire Safety measures for exit of audience and employees, arrangements made in the building and structure in relation to health and sanitary as may be certified by the inspection team comprising of Additional District Magistrate designated by Licensing Authority and Officials of the Department of Police, Public Works Department (Building and Electrical/ Mechanical), Madhya Pradesh Kshetriya Vidyut Vitaran Company Limited, Town and Country Planning, Municipal Corporation of Janpad Council, Excise, Health Department of Municipal Corporation or Municipal Council or Janpad Council, Fire Services or nominated non Government expert from the field of Fire Safety, Local Self Government and designated Electrical Inspector, who may be nominated for the purpose. Copy of such joint inspection report which has been duly signed shall be provided to the applicant or the owner of the concerned building/licensed premises and a copy of acknowledgment shall be obtained.

(2) If the construction is not in accordance with the standards laid down in the National Building Code of India, 2005 as amended from time to time along with in conformity of the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984 made under the provisions of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 or any deviation is noted then such a deviation shall be notified to the owner of the concerned building/licensed premises.

(3) The licensing authority shall not issue license/renew license/permission till such deviation are corrected.

(4) The licensing authority shall ensure for every cinema or multiplex cinema to obtain a joint inspection report from the team of Additional District Magistrate designated by Licensing Authority and Official of the Department of Police, Public Works Department (Building and Electrical/ Mechanical), Madhya Pradesh Kshetriya Vidyut Vitaran Company Limited, Town and Country Planning, Municipal Corporation or Municipal Council or Janpad Council, Excise, Health Department of Municipal Corporation or Municipal Council or Janpad Council, Fire Services or nominated non Government expert from the field of Fire Safety, Local Self Government and designated Electrical Inspector, who may be nominated for the purpose. In this joint inspection report, the team shall report on building structure, life safety against fire and compliance of all legal provisions and instructions issued.

(5) The inspection team shall inspect at least once in a year every cinema/multiplex. For this purpose licensee of every cinema or multiplex will have to deposit a fixed inspection fee as has been provided in rule 106 in the first week of every financial year in advance.

(6) The inspection team shall present a report to the licensing authority regarding the compliance of the legal provisions. Any deficiency noted during the joint inspection shall also be brought to the notice of the licensing authority which shall be notified by it to the applicant or the licensee, as the case may be. The licensing authority shall ask the applicant or the licensee, as the case may be, to remove such defect or deficiencies else steps may be taken for suspension/ cancellation of the license.

(7) Concerned Health Officer shall along with nominated Electrical Inspector, officials of the concerned Madhya Pradesh Kshetriya Vidyut Vitaran Company Limited shall carry our regular inspection of the cinema building/licensed premises at a time other than the show time of the film. Emergency or surprise inspection if made during the show time, should be such, so not to obstruct/delay the show.

97. Power to refuse license.—If the licensing authority on the report of the joint inspection team finds that the construction has not been made as per the standards laid down in the National Building Code of India, 2005, as amended from time to time, along with the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984 prepared under the provisions of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 then the licensing authority may refuse permission to run a cinema.".

15. For rule 100 and 101, the following rules shall respectively be substituted, namely:—

"**100. Application for cinema license.**—For obtaining a license for running a cinema or multiplex cinema, any person or in case of a company, director of such company on its behalf can make an application in terms of the provisions of rule 88 and rule 89 to the licensing authority spelling out the extent of interest of the applicant and its relation. The application shall contain name of the nominated manager/managers, incharge of electric installations and the name and address of electrician and the cinema operator, Following documents shall be enclosed along with the application—

(i) Approved map of the proposed building layout, which has been approved by the Town and Country Planning Department and the building permission by the concerned Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat..

(ii) Original permission for construction of the cinema issued by the Licensing Authority to the applicant after the plans are finally recommended that the structure of the cinema building is as per the provisions of the National Building Code of India, 2005 as amended from time to time along with the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984 prepared under the provisions of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 and of rule 9 of these rules.

(iii) A certificate from an authorized architect or qualified engineer and countersigned by the members of the inspection team to the effect, that the cinema building/cinema in multiplex has been constructed in accordance with part 4 "Fire and Life Safety" of the National Building Code of India, 2005 (as have been amended from time to time).

(iv) A certificate from the Electrical Inspector of the concerned area to the effect, that the electrical installations of the Cinema are in order and has been inspected and passed by him and the licensee has complied with all the rules and regulations and the electrical plant and projection apparatus is in the charge of qualified person.

(v) A certificate from the concerned authority that telephone is in working condition is installed in the Cinema building.

(vi) Nothing in these rules shall be applicable to tourist cinemas.

(vii) A certificate from the concerned Executive Engineer of Madhya Pradesh Kshetriya Vidyut Vitaran Company Limited or licensed Electrical Contractor to the effect, that lightening conductors have been properly installed. Such certificate shall state the actual resistance to earth found by regular test in the case of such lighting conductors.

101. **Grant of cinema license.**—The licensing authority, on receipt of documents and certificates referred to in rule 100 and also on satisfying from the report of the inspection team that all the rules have been complied with, may grant the license to the applicants under such terms and conditions as may be decided by it. The cinema licence shall be in Form E:

Provided that Touring Cinema License shall not be beyond the district for which it has been issued. Ordinarily license for Touring Cinema shall not be granted for places where there is already a permanent or a quasi-permanent cinema. But the licensing authority in its discretion, permit touring cinemas to operate at a place where there is already a permanent or a quasi-permanent cinema, on occasions such as fairs and meals or when the touring cinema exhibits films of a kind different from those exhibted by non-touring cinema such as, educational films or where it caters for a different publie.".

16. For rule 105 and 106, the following rules shall respectively be substituted, namely:—

"**105. Renewal of licenses.**—The Licensing Authority may renew the license on an application being made for such purpose under rule 103. An application for renewal shall be made as per the manner laid down in rule 100, but shall be mandatory to enclose the documents mentioned in

rule 100 along with permission for building construction and countersigned copy of the Joint Inspection Report of the inspection team:

Provided that in case of touring cinema and the Cinema premises duly licensed for use for cinema exhibition before the coming into force of these rules can seek renewal as per the procedure given in rule 100 along with a countersigned copy of the Joint Inspection Report of the Inspection Team.

106. Fees.—The Fees for a Cinema license or for renewal of the licence and the fees of the Joint Inspection shall be as follows:—

TABLE

S. No. (1)	Details (2)	Amount (3)
1.	The fees prescribed for the joint inspection of the Inspection Team	
	(a) Fee for the Preliminary inspection at the time of construction	Rs. 5000.00
	(b) Annual inspection fees	Rs. 1000.00
2.	Fee for preliminary inspection for touring Cinema	Rs. 1000.00
3.	Fees for sanction of license or its renewal	
	(a) License fee for one year	Rs. 2500.00
	(b) License Renewal fee for one year	Rs. 2500.00.".

17. After rule 122, the following rule shall be inserted, in Chapter VIII, namely:—

"122-A. Observance of the terms and conditions.—Licensee of a cinema or a Multiplex Cinema will have to follow the terms and conditions mentioned in the license and besides them, will have to follow the following conditions also:—

(i) Without written permission of the licensing authority, no equipment like loud-speaker, music or gramo-phone, band, drums, bell, horn, whistle, siren or any other equipment, which gives loud noise shall be used in the licensed premises or outside for advertisement nor any equipment shall be installed.

(ii) License shall not show any such film which has not been found to be proper by the Board of Film Certification, Whenever such film show is made, then the certificate to this effect without any change or tampering will have been exhibited.

(iii) In no Cinema licensed premises, any poster, Advertisement, line diagram or programme shall be displayed/sold/made available, which may be dangerous to the morality or which may provoke a crime or give rise to any ambiguity or cause hurt to any group of persons or show any living person in hatred state.

(iv) The license shall follow the directions of the licensing authority in relation to display of posters in the licensed premises.

(v) Government or any other officer, who may be authorized for this purpose may provide a film or lantern slide for free display by the licensee. But the time of display of such film or lantern slide shall not be more than 15 minutes and if its duration is more than 15 minutes, then it cannot be displayed unless licensee has been given that film 24 hours prior to the time of display.

(vi) Without the permission of the licensing authority, the licensee shall not transfer the licence, the licensed premises or building or the film.

(vii) Without the permission of the licensing authority, the licensee shall not allow any other person to display a film in the licensed premises.

(viii) Licensing authority or the person authorized by him for this purpose may inspect a film at any point of time and for such purpose, the licensee will have to make all the arrangements as may be ordered by the Inspecting officer.

(ix) Licensee shall not display a film which has been certified by the Board of Film Certification for adults, to the minors.

(x) All such persons, who are desirous of purchasing a ticket in the licensed premises, shall be issued tickets in the order of their arrival subject to the satisfaction to the Police Superintendent.

(xi) The licensee shall allow all the strangers to the licensed premises only after security through hand metal detectors and door frame metal detectors and shall ensure that no tiffin box, bag, brief case is used to hide any fire weapon or explosive or any other material inside the licensed premises.

(xii) The licensee shall ensure that its employees sale the cinema tickets in a prescribed manner at prescribed place at prescribed rate and do not sell it at a higher price. The licensee shall also ensure that no unauthorized person shall sell tickets in the licensed premises.

(xiii) For show of any film, the number of tickets of various categories should not be more than the number of seats of that particular category. The ticket sold by the licensee shall have following details printed on them:—

(a) Date and time of show;

(b) If the Cinema hall has been divided into different categories as per the price of the ticket or as per other standards, then the category for which the ticket is valid;

(c) Serial number of the ticket (if the hall has been divided into various categories as per the price of the ticket, then every category shall have distinctive serial number);

(d) The ticket so sold shall bear seat number. Sale of ticket without seat number shall be treated as violation of the terms and conditions of sale:

Provided that this will not be applicable where sitting arrangements is on the floor.".

18. After sub-rule (2) of rule 123, the following new sub-rules shall be inserted, namely:—

"(3) In case of violation of any condition of the license/rule by the proprietor/licensee of Cinema/ Multiplex Cinema, the license of Cinema/Multiplex Cinema shall be cancelled and water supply/ electric connection of the said building may be disconnected. In addition to this competent officer may proceed to seal the said building.

(4) In case of non-compliance of condition of notice, proprietor/licensee of Cinema/Multiplex Cinema, Shall be punishable with fine of Rs. 3,000/- per day.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.